

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प.14(6)विविध/गृह-10/2024

जयपुर दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.02.2025 के द्वारा यह आदेशित किया गया था कि जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन (राय हेतु सृजित पद) के सृजित पद सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्तगण द्वारा अनुसंधान के दौरान या अनुसंधान के पश्चात् या अन्य किसी अन्य किसी विधिक बिन्दु पर राय चाहने पर राय प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार ने उक्त कार्य हेतु आदेश क्रमांक प.16(19)(1)विविध/अभि/2020 जयपुर दिनांक 29.09.2023 के द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन (राय हेतु सृजित पद) के 36 पद सृजित किए हैं, जिनके पदस्थापना की स्थिति निम्नानुसार है, उनके समक्ष अंकित स्थानों पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्तगण को राय प्रदान करेंगे एवं इनके द्वारा पैरवी सम्बन्ध कार्य का निष्पादन नहीं किया जाएगा :

क्रसं	अधिकारी का नाम	स्थान
1	श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड	अजमेर
2	रिक्त	अलवर
3	श्री प्रदीप कुमार	भिवाडी
4	रिक्त	बांसवाडा
5	रिक्त	बांरा
6	रिक्त	बाडमेर
7	रिक्त	भरतपुर
8	कुमारी शोभा रानी	भीलवाडा
9	श्री भगवान सिंह राठौड	बीकानेर
10	रिक्त	बूंदी
11	श्रीमती निर्लेप सक्सेना	चित्तोडगढ
12	रिक्त	चुरू
13	श्री राजेश कुमार मीणा	धौलपुर
14	रिक्त	दौसा
15	रिक्त	डूंगरपुर
16	श्री अनिल मांकड	श्रीगंगानगर

17	श्री अशोक कुमार कालडा	हनुमानगढ़
18	श्रीमती पंकज सोनी (पद विरुद्ध)	जयपुर
19	श्री राजेश कुमार मीना	जयपुर
20	श्रीमती रेणु नायक (पद विरुद्ध)	जयपुर
21	श्री भवानी सिंह भाटी	जैसलमेर
22	रिक्त	जालोर
23	रिक्त	झालावाड़
24	श्री प्रमोद कुमार हटवाल	झुन्झुनू
25	श्री प्रवीण वर्मा	जोधपुर
26	रिक्त	करौली
27	रिक्त	कोटा
28	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बुलाकीदास	नागौर
29	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	पाली
30	श्री धर्मेन्द्र सिंह धाभाई	प्रतापगढ़
31	श्री हेमन्त देथा	राजसमन्द
32	रिक्त	सवाईमाधौपुर
33	श्री दिनेश कुमार/ नत्थुसिंह (पद विरुद्ध)	सीकर
34	श्री ओमप्रकाश कलावंत	सिरोही
35	रिक्त	टोंक
36	रिक्त	उदयपुर

जिन जिलों में सहायक निदेशक अभियोजन (राय हेतु सृजित पद) का पद रिक्त है, उन स्थानों पर सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन (प्रशासन) राय प्रदान करेंगे।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिकारीगण को कार्य निष्पादन हेतु समुचित आवश्यक सुविधाएँ, आदि उपलब्ध करवाए जाने हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करें।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
7. समस्त उप निदेशक अभियोजन राजस्थान।
8. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन (राय हेतु सृजित पद), राजस्थान।
9. संस्थापन राजपत्रित शाखा अभियोजन निदेशालय।

शासन सचिव गृह (विधि)